

30.6.28

अपील अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने पर सिगाह के तलब होकर (पेग इंडे) अपीलार्थिया अधिवक्ता प्रदुषम मेघवाल द्वारा निवेदन किया कि हस्तगत अपील के साक्ष्य में राजीनमा हो जाने से अब कोई कार्यवाही नहीं चाले है इस आशय का जा.पत्र प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा पूर्व में भेजा गया है अतः अपील विद्रो करने की अनुमति प्रदान करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रार्थना अपील विद्रो को भेजा गया वर्तमान में अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर अपील विद्रो किए जाने का कथन किया गया है अपील वर्तमान में नागिल हेतु निरत है अतः न्यायस्थिति में अधिवक्ता अपीलार्थी

का जा.पत्र स्वीकार किया जाता है अपील विद्रो किए जाने से अपील को इस स्तर पर निस्तारित किया जाता है निर्दिष्ट लेटर इजलास सुनाया गया प्रकरण फेंदल सुकार हाउस नंबर से भेजा है।

(सोनिशकुमारी)

IAS

उपखण्ड अधिकारी
गिवा, उदयपुर